

Ref No.: DAV/MPZONED/2025-26/93

Dated: June 16, 2025

To
The Heads,
D.A.V. Public Schools,
M.P. Zone -D

Subject: School timings w.e.f. June 16, 2025- reg.

Sir/Ma'am,

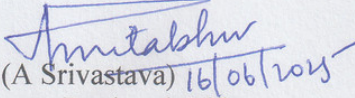
In compliance with the orders of Worthy District Magistrate and Collector, Distt. – Singrauli(Copy Attached), the school timings w.e.f. June 16, 2025 will be as below:

Reporting of teaching Staff	: 07:20 AM
Reporting of students	: 07:30AM
Dispersal of students	: 12:00 PM
Dispersal of teaching Staff	: 01:00 PM

However, classes Nursery to II will remain suspended, till further instructions. You are requested to ensure adherence to the same.

With regards,

Yours Sincerely


(A Srivastava) 16/06/2025
Asstt. Regional Officer

Enclosures: As mentioned above.

कार्यालय कलेक्टर
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

E-Mail-deosin@mp.gov.in Ph-07805234716

क्रमांक / 1458 / विद्या / शिक्षा / 2025

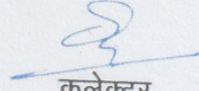
सिंगरौली दिनांक 15/06/2025

// आदेश //

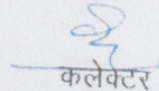
वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 171 / IT / शाला संचालन / 2025-26 सिंगरौली दिनांक 10.04.2025 में आंतरिक संशोधन करते हुए, शाला संचालन समय परिवर्तन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. समस्त शासकीय / अशासकीय / केन्द्रीय विद्यालय / नवोदय विद्यालय / ICSE / CBSE शैक्षणिक संस्थाओं में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 30 जून 2025 तक शाला संचालन समय में परिवर्तन कर प्रातः 07.30 से दोपहर 12.00 बजे तक किया जाता है।
2. मूल्यांकन / परीक्षा कार्य यथावत समय पर संपादित होंगे।

पृ.क्रमांक / 1459 / विद्या / शिक्षा / 2025
प्रतिलिपि :-


कलेक्टर
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)
सिंगरौली, दिनांक 15/06/2025

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला-सिंगरौली की ओर जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9. समस्त बी.ई.ओ. / बी.आर.सी.सी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
10. समस्त संस्था प्रमुख शासकीय / अशासकीय / केन्द्रीय विद्यालय / नवोदय विद्यालय / ICSE / CBSE शैक्षणिक संस्थाओं जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)